



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



4 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 496 राँची, शुक्रवार,

26 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

24 जून, 2024

संख्या-5/आरोप-1-27/2022- 25839 (HRMS)--श्री राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-503/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बलियापुर, धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-356/स्था०, दिनांक 10.06.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. अंचल अधिकारी, बलियापुर के रूप में पदस्थापित रहते हुए श्री राम प्रवेश कुमार द्वारा बलियापुर अंचल अन्तर्गत मौजा-पलानी, मौजा सं०-40, खाता संख्या-506, प्लॉट सं०-1367, 1372, 1375, 1376, 1377, 1378 एवं 1379 कुल प्लॉटों के शामिल रकवा- 6 एकड़ 34 डिसमिल भूमि जो हाल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार के नाम बतौर किस्म पुरानी परती एवं जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज है एवं गत सर्वे खाता संख्या-164, प्लॉट संख्या-1130 एवं 1131 गैरआबाद खाता किस्म पहाड़ एवं पुरातन पतीत से तैयार हुआ है। उक्त भूमि का दिनांक 23.09.2021 को पूर्वाहन 11.47 बजे बिना किसी सक्षम प्राधिकार का उल्लेख किये विभूति गोप, पिता स्व० भरत गोप के नाम ऑनलाईन जमाबंदी भाग सं०-5 पृष्ठ सं०-506 दर्ज करते हुए दिनांक 23.09.2021 के अपराहन 3 बजकर 47 मिनट 39 सेकेन्ड पर वर्ष 2007-08 से लगातार वर्ष 2021-22 तक के सरकारी लगान का भुगतान करने का अवसर उपलब्ध कराया गया एवं पुनः दिनांक 23.09.2021 के

अपराहन 06 बजकर 21 मिनट पर मूलतः गैरआबाद खाता से संबंधित उपरोक्त भूमि के जमाबंदी भाग सं0-5 पृष्ठ सं0-506 को बिना SOP के अनुपालन किये बगैर रद्द भी कर दिया गया। इस प्रकार श्री राम प्रवेश कुमार, अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा जमीन के नामान्तरण वादों के निष्पादन में सरकारी हितों के प्रतिकूल कार्य किया गया है व राजस्व कार्यों के निष्पादन में गंभीर अनियमितता व स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

2. अंचल अधिकारी, बलियापुर के रूप में पदस्थापित रहते राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं रख-रखाव हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदंड का पालन किये वगैर अनधिकृत व्यक्ति से कार्यालय कक्ष में मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण एवं स्वयं के व्यक्तिगत जवाबदेही वाले कार्य का सम्पादन किये जाने को प्रश्रय प्रदान किया गया। इस प्रकार श्री राम प्रवेश कुमार, अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा राजस्व जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के निष्पादन में अनियमितता व स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

3. अंचल अधिकारी, बलियापुर के रूप में पदस्थापित रहते अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-127/2021-22, 128/2021-22, 129/ 2021-22 एवं 130/2021-22 की स्वीकृति व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के मंशा एवं उद्देश्य से करते हुए राजस्व हितों के प्रतिकूल कार्य किया गया, जबकि प्रश्नगत वाद से संबंधित भूमि का किस्म खतियान में जंगल-झाड़ी दर्ज रहने के आधार पर पूर्व में क्रमशः नामान्तरण वाद संख्या-926/2020-21, 780/2020-21, 782/2020-21 को अस्वीकृत किया जा चुका था एवं राजस्व उप निरीक्षक द्वारा वाद अस्वीकृत किये जाने संबंधी अनुशंसा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद पुनः नये सिरे से प्रतिवेदन की मांग कर वाद को स्वीकृत किया गया। इस वास्तविकता को नजर अंदाज किया गया कि अंचल अधिकारी के स्तर से अस्वीकृत नामान्तरण वाद को अपीलीय न्यायालय द्वारा ही परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार श्री राम प्रवेश कुमार, अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा राजस्व संबंधी कार्य सम्पादन में लागू नियमों व प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अनियमितता व स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

4. अंचल अधिकारी, बलियापुर के रूप में पदस्थापित रहते श्री राम प्रवेश कुमार द्वारा नामान्तरण वाद संख्या-284/2021-22 में जहाँ एक तरफ पूर्व में अस्वीकृत जंगल झाड़ी भूमि को पुनः प्रतिवेदन प्राप्त कर स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरह किस्म भूमि गोड़ा II को जंगल झाड़ी बताकर अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि खतियान के अनुसार आवेदित भूमि का किस्म भी गोड़ा III रहना स्पष्ट है। इस प्रकार श्री राम प्रवेश कुमार, अंचल अधिकारी, बलियापुर द्वारा राजस्व संबंधी कार्य सम्पादन में लागू नियमों व प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अनियमितता व स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4377, दिनांक 20.07.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-911, दिनांक 27.08.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6086, दिनांक 29.09.2022 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य की माँग की गयी है। उक्त के आलोक में उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-961/स्था0, दिनांक 12.12.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध गठित आरोप सं0-1, 3 एवं 4 पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है तथा आरोप सं0-2 पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-1356, दिनांक 22.02.2024 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। श्री कुमार के पत्रांक-423, दिनांक 26.04.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पूर्व के समर्पित स्पष्टीकरण के तथ्यों का ही उल्लेख किया गया है, जिसकी समीक्षा पूर्व में की जा चुकी है। उपायुक्त, धनबाद के द्वारा भी आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राम प्रवेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, बलियापुर, धनबाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	RAM PRAWESH KUMAR JHK/JAS/277	श्री राम प्रवेश कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-503/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बलियापुर, धनबाद के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
